

हिस्ट्रीशीटर चोरी की मोटर साइकिल व 01 अदद अवैध चाकू 100 अदद अवैध नशीली गोली के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के निर्देशन क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश सिंह भदौरिया के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान थानाध्यक्ष महुली द्वारा तिनहरी पुलिया के पास से 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो (स्पेंडर आई स्मार्ट) चोरी की, 01 अदद अवैध चाकू व 100 अदद नशीली गोली व साथ हिस्ट्रीशीटर सूरज सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी पिपरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध थाना हाजा पर बरामदगी के अनुसार मु0अ0सं0 10 / 2021 धारा 41 / 411 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि व मु0अ0सं0 11 / 2021 धारा 8 / 21 NDPS Act मु0अ0सं0 12 / 2021 धारा 4/ 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- सूरज सिंह पुत्र जनार्दन सिंह निवासी पिपरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी -

01 - 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो (स्पेंडर आई स्मार्ट) रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 BN 8887 चोरी की।

02 - 01 अदद अवैध चाकू।

03 - 100 अदद नशीली गोली।

विवरण -

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर महोदय के द्वारा वांछित एवं सक्रिय अपराधियों व जमानत में बाहर हुए आये हुए शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 09.01.2021 को तिनहरी पुलिया के पास थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह व हमराहीगणों द्वारा हिस्ट्रीशीटर उपरोक्त को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है तथा उक्त अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू, 100 अदद अवैध नशीली गोली, 01 अदद मोटर साइकिल हीरो स्पेंडर आई स्मार्ट रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 BN 8887 चोरी बरामदी हुई है। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे पास जो नशीली गोली है वह मैं नाथनगर बाजार में ले जाकर बेचने जा रहा था परन्तु आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया। मोटर साइकिल के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी चोरी की है जिसे मैंने दिनांक 04.01.2021 को अपने साथी मंगल

सिंह उर्फ अनूप सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के साथ मिलकर सरकारी अस्पताल ऊरवा बाजार जनपद गोरखपुर के परिसर से चुराया था। मोटर साइकिल की पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट हम लोगों ने बदल दिया है जिसका असली रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 BN 8827 है। उक्त वाहन के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष ऊरवा बाजार जनपद गोरखपुर से जरिए दूरभाष संपर्क किया गया तो ज्ञात हुआ कि उक्त गाड़ी दिनांक 04.01.2021 को ऊरवा बाजार के परिसर से चोरी हुआ है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 07 / 2021 धारा 379 भादवि थाना ऊरवा बाजार में पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपने साथी मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह के साथ मिलकर जनपद बस्ती, अम्बेडकरनगर, गोरखपुर, संतकबीरनगर, व आसपास के जनपदों से मोटर साइकिल चोरी करने के साथ-साथ नशीली दवाई बेचने की बात स्वीकार किया गया व उससे अर्जित धन से शौक पूरी करने की बात स्वीकार किया गया।

सफल अनावरण –

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.01.2021 को जनपद गोरखपुर के ऊरवा बाजार अस्पताल परिसर से चोरी की गई मोटर साइकिल जिसके सम्बन्ध में थाना ऊरवा बाजार पर मु0अ0सं0 07 / 2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत अभियोग का सफल अनावरण हुआ।

गिरफ्तार हिस्ट्रीशीटर का आपराधिक इतिहास –

- 1- मु0अ0सं0 734 / 2016 धारा 411 / 392 / 34 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 2- मु0अ0सं0 1258 /2016 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।
- 3- मु0अ0सं0 762 /2016 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 4- मु0अ0सं0 निल/ 2016 धारा 411/ 414 / 420 467/ 468 / 471 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 5- मु0अ0सं0 232 /2016 धारा 385 /507 भादवि थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।
- 6- मु0अ0सं0 913 /2016 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 7- मु0अ0सं0 959 / 2017 धारा 41/411 भादवि थाना धनघटा जनपद जनपद संतकबीरनगर।
- 8- मु0अ0सं0 322 /2018 धारा 41/411/413 /420/467/468/471 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 9- मु0अ0सं0 84 / 2020 धारा 188 / 269 / 271 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 10- मु0अ0सं0 07 /2021 धारा 379/411 थाना ऊरवा बाजार जनपद गोरखपुर।
- 11- मु0अ0सं0 10 / 2021 धारा 41/411/420/467/468/471 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 12- मु0अ0सं0 11/ 2021 धारा 8/21 NDPS Act थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
- 13- 12/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार सिंह, उ०नि० अभिमन्यु सिंह (प्रभारी चौकी मुखलिशपुर), उ०नि० श्री वीरेन्द्र सिंह यादव(प्रभारी चौकी हरिहरपुर), हेकां० भानु प्रकाश यादव, हे०कां० अनिल कुमार यादव, हेकां० पप्पू सिंह, हे०कां० श्रवण कुमार यादव, हे०कां० जगदम्बा प्रसाद तिवारी, कां० अभिषेक सिंह,

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10-01-2021

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/ 107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा आत्महत्या कर रहे युवक को बचाया गया – पीआरवी 1485 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत गोलाबाजार से इवेन्ट संख्या 00281 से कालर ने एक व्यक्ति के आत्महत्या करने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 03 मिनट में पहुंचकर आत्महत्या कर रहे व्यक्ति को पीआरवी वाहन से इलाज हेतु जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया तथा इस संबन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया, पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर आत्महत्या कर रहे व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु०आ० कामेश्वर सिंह, मु०आ० विजय प्रताप यादव, आ० उमेश कुमार गौतम ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 53 वाहनो से 51000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 10.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 53 वाहनो से 51000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 10-01-2020

**क्षेत्राधिकारी धनघटा के मार्गदर्शन में गठित टीमों द्वारा अवैध शराब बनाने वाले
उपकरण 06 भट्टी बरामद, 384 कुंतल लहन किया गया नष्ट**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में आज दिनांक 10.01.2021 को अवैध शराब निर्माण , बिक्री व परिवहन के संबंध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अम्बरीश भदौरिया के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग व प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री रवीन्द्र कुमार गौतम के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीमों द्वारा प्रभारी चौकी विड़हरघाट व प्रभारी चौकी पौली के साथ मिलकर धनघटा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा नदी के पूरे मांझा क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें पूरे मांझा क्षेत्र से जनपद पुलिस द्वारा नदी के दोआब से 35 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अदद भट्टियां, 384 कुंतल लहन व शराब बनाने वाले उपकरण को नष्ट किया गया। इस कार्यवाही से थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों में भय का महौल व्याप्त है जिससे कि अवैध कच्ची शराब बनने व विक्रय पर रोग लग सकेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध शराब के निर्माण पर रोक लगाने हेतु अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ समय समय पर अभियान चलाकर कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।